



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1216]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 2011/आषाढ़ 4, 1933

No. 1216]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 2011/ASADHA 4, 1933

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1454(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय न्यायाधीशों सर्व/श्री यतिन दत्तात्रेय शिंदे और संजय आनंदराव देशमुख की अध्यक्षता में क्रमशः शहर सिविल और सत्र न्यायालय, बम्बई को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the City Civil and Sessions Courts, Bombay, presided over by Hon'ble S/Shri Yatin Dattatraya Shinde and Sanjay Anandrao Deshmukh, Judges, respectively, as the Special Courts for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Maharashtra.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2011

का.आ. 1455(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए माननीय न्यायाधीश श्री प्रदीप पंत, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून की अध्यक्षता में जिला एवं सत्र न्यायालय, देहरादून को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2011

S.O. 1455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the District and Sessions Court, Dehradun, presided over by Hon'ble Shri Pradeep Pant, 3rd Additional District and Sessions Judge, Dehradun as the Special Court for purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1585]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 2013/आषाढ़ 17, 1935

No.1585]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2013/ASHADHA 17, 1935

गृह मंत्रालय

( आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2013

का. आ. 2078(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-II की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की सिफारिश पर केन्द्र सरकार श्री प्रदीप पंत, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, देहरादून, जिन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 25 जून, 2011 की संख्या का.आ. 1455(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय, अर्थात् जिला न्यायालय, देहरादून की अध्यक्षता करने के लिए न्यायधीश नियुक्त किया गया था, के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप श्री राजकिशन, जिला एवं सत्र न्यायधीश, देहरादून को उक्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए एतद्वारा न्यायधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (पार्ट-1)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2013

S.O. 2078(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) and on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of High Court, Uttarakhand, the Central Government hereby appoints Shri Raj Krishan, District and Sessions Judge, Dehradun as Judge to preside over the National Investigation Agency Special Court, that is, the District and Sessions Court, Dehradun, consequent upon the transfer of Shri Pradeep Pant, 3rd Additional District and Sessions Judge, Dehradun who was appointed as a Judge to preside over the said National Investigation Agency Special Court vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1455(E), dated the 25th June, 2011.

[F.No. 17011/50/2009-IS. IV (Pt.-1)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2012

**S.O. 1549(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Rakesh Pandey, Advocate, Shri Arun Kumar, Advocate, Shri Indra Bhushan Singh, Advocate, Shri Anurag Khanna, Advocate and Shri Lalit Kumar Singh, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Uttar Pradesh.

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

**का.आ. 1550(अ).**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, उत्तराखण्ड राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री बलजीत सिंह, अधिवक्ता तथा श्री अरविन्द वशिष्ठ, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2012

**S.O. 1550(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Baljeet Singh, Advocate and Shri Arvind Vashishth as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Uttarakhand.

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

**का.आ. 1551(अ).**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की

उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, पुडुचेरी राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री टी. तिरूनावोकरासो, अधिवक्ता तथा श्री जी मोहन कीर्ति कुमार, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2012

**S.O. 1551(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri T. Tirounavocarassou, Advocate and Shri G. Mohan Keerthi Kumar, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Puducherry.

[F.No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

**का.आ. 1552(अ).**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, हिमाचल प्रदेश राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री धर्मपाल चौहान, अधिवक्ता तथा श्री कश्मीर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2012

**S.O. 1552(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Dharampal Chauhan, Advocate and Shri Kashmir Singh Thakur, Advocate as Special Public Prosecutor(s) for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions